सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राइट टू फूड को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राइट टू लाइफ का हिस्सा बताया गया है. इसके अलावा, सरकार भी काफी समय से खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर विचार-विमर्श कर रही है. संसद के बजट सत्र में जिन विधेयकों पर सबकी नजर रहेगी उनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भी अहम है. बजट सत्र में प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयकों पर केंद्रित विशेष सीरीज की तीसरी कड़ी...

खाद्य सुरक्षा विधेयक
जमीन पर उतारने की चुनौती

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

देश की एक बड़ी आबादी आज भी दो वक्त की रोटी की चुनौती से जूझ रही है. इसी के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने का फैसला किया है. हालांकि, यह कोशिश कई वर्षों से लंबित है. एकबार फिर सरकार अपनी इस योजना को ला रही है.

1 विधेयक में ग्रामीण इलाकों की 75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों की 50 फीसदी आबादी को इस दायरे में लाने का प्रावधान है.

2 ग्रामीण आबादी के 46 फीसदी को और 28 फीसदी शहरी आबादी को प्राथमिकता वाले परिवारों की सूची में रखा गया है. शेष सामान्य परिवारों की सूची में आयेंगे.

3 प्राथमिकता वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति प्रति महीने सात किग्रा अनाज दिया जायेगा, जबकि सामान्य परिवारों के लिए यह मापदंड तीन किग्रा प्रति महीना होगा.

4 केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों में प्राथमिकता और सामान्य परिवारों के आंकड़े को निर्धारित करेगी. राज्य सरकारें इन समूहों में आने वाले परिवारों की पहचान करेंगी.

5 विधेयक में विशेष समूहों का भी जिक्र किया गया है. जैसे गर्भवती महिलाएं, छह महीने से 14 वर्ष तक बच्चे, कुपोषित बच्चे, आपदा से प्रभावित व्यक्ति, अभावग्रस्त, निराश्रित और भुखमरी से शिकार लोगों के लिए भी व्यवस्था की गयी है.

6 विधेयक में जिला, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.

7 विधेयक में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार करने का भी लक्ष्य रखा गया है.

मुख्य मुद्दे और चुनौतियां

1 विधेयक के तहत लाभार्थियों को तीन समूहों में बांटा गया है. लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया और उन्हें तीन समूहों में शामिल करने या बाहर रखने की प्रक्रिया में खामियां हैं.

2 पात्रता और शिकायत निवारण ढांचों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को बजटीय आवंटन करने की आवश्यकता होगी. जरूरी फंड मुहैया नहीं कराने पर विधेयक को लागू करने में दिक्कतें आयेंगी.

3 विधेयक में प्राथमिकता और सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कोई तर्कसंगत प्रावधान नहीं है.

4 शिकायत निवारण फ्रेमवर्क और संसद में लंबित सिटीजन्स चार्टर बिल के बीच कई समानताएं हैं, जिससे दोनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर दुविधा की स्थिति आ सकती है.

5 विधेयक की अनुसूची-3 में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, वह खाद्य सुरक्षा से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित नहीं हो सकता है.

6 विधेयक की अनुसूची-3 में स्वच्छ और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, पोषण संबंधी, स्वास्थ्य और बालिकाओं के लिए शैक्षणिक सहयोग, हेल्थकेयर, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन का जिक्र है.

6 विधेयक में भूख से ग्रसित और अभावग्रस्त लोगों की परिभाषा एक ही रखी गयी है. जबकि, दो समूहों के अंतर्गत खाद्यान्न पाने वालों की पात्रता में अंतर है.

अहम सवालों का नहीं मिला जवाब

- 2014 में 7.4 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी, जबकि खाद्यानों की पैदावार और खरीद के मौजूदा ट्रेंड के आधार पर सरकार के पास अधिकतम 5.76 करोड़ टन अनाज ही उपलब्ध होगा.
- विधेयक को लागू करने के लिए सरकार को 23 हजार करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी पर खर्च होना होगा. इसका इंतजाम कहां से होगा?
- इतने व्यापक स्तर पर बड़ी आबादी को अन्न मुहैया कराने के लिए उसका भंडारण कैसे होगा. जबकि, एफसीआइ के पास 3.6 करोड़ टन ही भंडारण क्षमता है और नवंबर 2012 तक उत्पादन 6.6 करोड़ टन हुआ था.

इस तरह तैयार हुआ विधेयक का रास्ता

1 भारत वर्ष 1948 के मानवाधिकार पर वैश्विक घोषणापत्र और 1966 के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश है. यह अंतरराष्ट्रीय प्रावधान पर्याप्त भोजन के अधिकार को लागू करने की बात करता है.

2 भारतीय संविधान में निहित नीति-निर्देशक तत्व में कहा गया है कि यह राज्यों का अधिकार है कि वह अपनी जनता के जीवन स्तर और पोषण के स्तर को बेहतर बनाये. साथ ही, जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करे.

3 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित बताया. यानी भोजन के अधिकार के बिना जीवन का अधिकार बेमानी है.

4 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज ने रिट याचिका दाखिल करते हुए कहा कि भोजन का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) का ही हिस्सा है.

5 2001 में ही कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी आठ योजनाओं को कानूनी रूप से लागू करने का आदेश दिया. इन योजनाओं में जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील योजना और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस शामिल थीं.

6 वर्ष 2008 में कोर्ट ने आदेश दिया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति महीने 35 किलोग्राम अनाज तीन रुपये प्रति किग्रा दिया जाना चाहिए.

7 अक्तूबर, 2010 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया.

8 जनवरी, 2011 में प्रधानमंत्री द्वारा गठित की गयी सी रंगराजन की अगुवाई वाली विशेषज्ञ समिति ने विधेयक का अध्ययन किया और कई सिफारिशें की, जिसमें लाभार्थियों के दायरे को कम करने और जन वितरण प्रणाली को कंप्यूटराइज्ड करने का सुझाव भी शामिल था.

9 सितंबर, 2011 में खाद्य, उपभोक्ता और जनवितरण मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट बिल को जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया गया.

10 मौजूदा विधेयक दिसंबर, 2011 में संसद में पेश किया जा चुका है.

■ अखिलेश कुमार

पिछले 60 सालों में गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराने के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित कई कदम उठाये गये. इसके बावजूद दूर गांव और शहर के लाखों लोगों को अभी भी भूख बेचैन किये हुए है. इस स्थिति को स्वीकार करते हुए यूपीए सरकार ने 2009 में ही अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि हमने खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसविदा तैयार कर लिया है. हालांकि, सरकार ने वर्ष 2009 से ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भोजन के अधिकार कानून यानी राइट टू फूड एक्ट को ड्राफ्ट किया था, लेकिन सरकार के आंतरिक कलह और पहले से ही मौजूद पूरी व्यवस्था में तमाम खामियों के कारण ये बिल अभी भी संसद में लंबित है. व्यवस्था से हाशिए पर आये गरीब परिवार अभी भी दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस बजट सत्र में यह बिल पारित हो पायेगा.

बिल में प्रावधान

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की लगभग 63.5 फीसदी आबादी को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है. सरकार का मानना है कि इस कानून से ग्रामीण क्षेत्र की 75 फीसदी आबादी को लाभ मिलेगा और शहरी क्षेत्रों के 50 फीसदी लोगों को लाभ मिलेगा. इस कानून के तहत खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को दो समूहो में बांट दिया गया है. पहले समूह को प्राथमिक समूह कहा गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 46 फीसदी और शहरी क्षेत्रों की 28 फीसदी आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव है. इस समूह के लोगों को हर महीने तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटे अनाज के भाव से 35 किलोग्राम खाद्यान देने का प्रावधान किया गया है.

दूसरी ओर सामान्य समूह में ग्रामीण क्षेत्रों से 44 फीसदी और शहरी क्षेत्रों से 22 फीसदी आबादी को हर महीने खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की आधी कीमत पर 20 किलोग्राम खाद्यान देने का प्रस्ताव है. 23 अक्तूबर 2010 को एनएसी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले के 25 किलो अनाज की मात्रा को 35 किग्रा कर दिया. उसके पहले भी 6 जुलाई 2009 को प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में बनी मंत्रियों के समूह ने यही सुझाव दिया था. इसके अतिरिक्त इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिसमें महिलाओं सहित शिशुओं के लिए भी कई योजना शामिल है. गर्भवती महिलाओं को छह महीने तक प्रति माह 1000 रुपये देने का सुझाव भी है. सरकार को आशा थी कि इससे देश की सवा दो करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी. राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम पर होगा. निर्धारित पोषण मानदंडों के आधार पर आठवीं तक के बच्चे मिड-डे-मील के हकदार होंगे. आकड़े कहते हैं कि अभी भारत में करीब 47 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल की याचिक पर आखिरी निर्देश दिये बिना कई अंतरिम आदेश दिये थे. अपने आदेश में उन्होंने पहले से चल रही कुछ कार्यक्रमों पर न केवल ध्यान दिलाया, बल्कि 8 मई, 2002 को इसकी मॉनिटरिंग के लिए दो कमीशनरों को नियुक्त किया था, जिन्होंने कई सुझाव दिये थे, जिसमें पीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना, मीड-डे-मील के बच्चों के लिए आइसीडीएस योजना भी शामिल थी.

विधेयक की खामियां

यदि एनएसी के सुझाव को गौर से देखें तो इसे लागू करने के लिए 2014 में 7.4 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी, जबकि खाद्यानों की पैदावार और खरीद के मौजूदा ट्रेंड के आधार पर सरकार के पास अधिकतम 5.76 करोड़ टन अनाज ही उपलब्ध होगा. दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आने वाले खर्च भी अलग-अलग हैं. अनाज की वितरण की भी समस्याएं भी हैं, क्योंकि इस वितरण के लिए जन वितरण प्रणाली पर निर्भर रहना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है.

जन वितरण प्रणाली में तमाम ऐसी खामियां हैं, जिससे फर्जी राशन कार्ड, जमाखोरी, मुनाफाखोरी की विकराल समस्याएं पहले से ही मुंह बाये खड़ी हैं. हालांकि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए दो तरह की योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है. पहली योजना कूपन प्रणाली है, जो कई राज्यों में चल रही है. खाद्य सब्सिडी से निजात पाने के लिए दूसरी योजना कैश ट्रांसफर के रूप में है, जिसके जरिये लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में पैसा डाल दिया जायेगा. हालांकि इस योजना का भी विरोध किया जाना लाजमी है.

गरीबी रेखा को लेकर संशय

सरकार अभी तक गरीबी रेखा को सुनिश्चित नहीं कर पायी है. आंकड़े कहते हैं कि अभी भी 18.7 फीसदी ग्रामीण और 33 फीसदी शहरी आबादी के पास कोई कार्ड नहीं है. उल्लेखनीय है कि वाधवा समिति के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 20 करोड़, तेंदुलकर समिति के अनुसार 9.25 करोड़, विश्व बैंक के अनुसार 7.5 करोड़, एनसी सक्सेना समिति कहती है कि 12.5 करोड़, जबकि अर्जुन सेन गुप्ता समिति के अनुसार 20 करोड़, तो योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल गरीबों की संख्या 7 करोड़ है. पिछले साल योजना आयोग ने जो गरीबी की परिभाषा दी है, वह अपने आप में हास्यास्पद है.

इन सभी अंतर्विरोधों को देखते हुए सरकार कोई भी कदम उठाती है, तो सबसे पहले उसे गरीबी पर एकराय बनानी होगी. इतना ही नहीं सरकार को प्राथमिकता तय करनी होगी, क्योंकि भोजन का अधिकार कानून संवैधानिक रूप से तो सबके लिए होना चाहिए. हालांकि, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

एनएसी और सरकार के बीच मतभेद

शुरुआत से ही इस बिल को लेकर यूपीए सरकार और एनएसी के बीच खींचतान होती रही है. इसी सिलसिले में एनएसी द्वारा बनाये गये बिल के मसौदे को सी रंगराजन के नेतृत्व में बनी आर्थिक सलाहाकार परिषद ने खारिज कर दिया. सी रंगराजन ने साफ तौर पर कह दिया कि एनएसी का प्रस्ताव अव्यावहारिक है. इसे लागू करना संभव नहीं है. उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जरूरी अनाज उपलब्ध नहीं है. समिति के मुताबिक, इसके लिए शुरुआती दौर में 2014 तक 7.4 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी, जबकि खाद्यानों के पैदावार के ग्राफ के आधार पर सरकार के पास अधिकतम 5.76 करोड़ टन अनाज ही उपलब्ध होगा. इतना ही नहीं, बाढ़ और सूखे के समय भी सरकार को कानूनी वायदे निभाने होंगे. अंत में आयात करने के लिए अतिरिक्त बोझ को सरकार उठाने की स्थिति में नहीं है. दूसरी तरफ 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों से पता चलता है कि सरकार ने सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करने का मन बना लिया है. समिति का मानना है कि वायदे को पूरा करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में अनाज खरीदने होंगे. इससे बाजार में अनाजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी.

इन सभी तर्कों के आधार पर रंगराजन समिति का सुझाव है कि खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की 46 फीसदी और 28 फीसदी आबादी को दिया जाये, जो कि एनएसी के प्राथमिक समूह के अंदर आती है. समिति का कहना है कि एनएसी के मुताबिक, पहले चरण में कुल सब्सिडी 71837 करोड़ रुपये होगा और अंतिम चरण में 79931 करोड़ रुपये का खर्च होगा. लेकिन रंगराजन ने इन अनुमानों को चुनौती दी है. उनका कहना है कि इन आकड़ों से संसोधन की पूरी गुंजाइश है और सब्सिडी बढ़कर 85,584 करोड़ रुपये और 92,06 करोड़ रुपये हो जायेगी. जबकि सरकार सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष तक 3 फीसदी तक रखने की घोषणा पहले ही कर चुकी है.

सरकार की दुविधा

दरअसल, विजय केलकर के नेतृत्व 13वें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए खासकर पेट्रोलियम उर्वरक और खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी में कटौती करने का सुझाव दिया था. महंगाई में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में एक ये भी है कि समिति ने डीजल, केरोसीन, रसोई गैस, उर्वरक और राशन से मिलने वाले गेहूं-चावल की कीमतो में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून को सरकार के सी रंगराजन के नेतृत्व में बनी आर्थिक मामलों की समिति ने इस पर फिर से विचार करने के लिए कैबिनेट के पास भेजा. गौरतलब है कि सरकार एक तरफ केलकर समिति के इशारे पर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त करने की योजना बना रही है. वहीं दूसरी तरफ राइट टू फूड के अंतर्गत 75 फीसदी लोगों को लाना भी चाहती है. इससे सरकार पर पहले से भी ज्यादा सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ बढ़ता दिख रहा है. इस प्रकार सरकार अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी है. अब कहना मुश्किल है कि सरकार इस बिल को अगले सत्र में पास करा पायेगी. जाहिर है इससे पहले से ही सरकार अंत्योदय योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवारों को 35 किग्रा चावल अथवा गेहूं दिया जा रहा है. बच्चों के लिए अलग से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मीड डे मील उपलब्ध करा रही है. कुल मिलाकर वर्तमान में सरकार देश के 18.04 करोड़ परिवारों को सस्ता आनाज उपलब्ध कराती है जिसमें 6.52 करोड़ बीपीएल और 11.15 करोड़ एपीएल परिवार हैं.

राज्यों की स्थिति

रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिन राज्यों की प्रशंसा की है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है. समिति ने हरियाणा और दिल्ली को छोड़कर किसी राज्य की पीडीएस व्यवस्था में सुधार के लिए अपना समर्थन नहीं दिया है. इस रिपोर्ट में तमिलनाडु सरकार को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए पीडीएस व्यवस्था में प्रयोग, गुजरात सरकार द्वारा बार कोड वाले अनाज की बोरी का इस्तेमाल किये जाने और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसएमएस अलर्ट सिस्टम की काफी तारीफ की है. बिहार सरकार ने 8 मार्च 2011 को खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूर किया. हालांकि गरीबी रेखा को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार में अभी भी गतिरोध बना हुआ है.

केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 65 लाख बताती है, जबकि बिहार सरकार के मुताबिक करीब 1 करोड़ 45 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं. बिहार सरकार की मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा छूटे 80 लाख परिवारों को कम कीमत पर अनाज मुहैया कराना है. दूसरी तरफ इस समय छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जो लगभग 37 लाख गरीब परिवारों को सिर्फ एक रुपये और दो रुपये किलो में हर महीने 35 किलो चावल और दो किलो निःशुल्क नमक उचित मूल्य की दुकानों के जरिये उपलब्ध करा रहा है. अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं. सच्चाई यह है कि न सिर्फ देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, बल्कि सरकार चाहे तो इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी अनाज खरीद सकती है. इसके लिए सिर्फ अनाज खरीदने के दायरों को बढ़ाना होगा. इससे न सिर्फ बिचौलिये से निजात मिलेगी, बल्कि उनकी फसल को उचित कीमत भी मिल सकेगी. दूसरी तरफ सरकार के बड़े पैमाने पर अनाज खरीदने से कीमतें बढ़ने की आशंका इसलिए बेईमानी है कि अनाज खरीद कर लोगों तक उसे पहुंचाया गया, तो कीमतें बढ़ेंगी नहीं बल्कि उल्टे उन पर लगाम लगेगी. कीमतें तब बढ़ती जब सरकार अनाज दबाकर बैठ जाती है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार अनाज को जमा कर सड़ा रही है. भारतीय कृषि व्यवस्था पर 2008 में वल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कई सुझाव दिया था. सरकार को एमएस स्वामीनाथन रीसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है. बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर एक राय बनाते हुए सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बिल को संसद में पास कराने के लिए विपक्षी दलों को साथ में ले तो अच्छा.

समूह	पात्रता
प्राथमिकता	सात किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति महीना, (तीन रुपये प्रति किग्रा गेहूं, दो रुपये प्रति किग्रा चावल, मोटा अनाज एक रुपये प्रति किग्रा)
सामान्य	कम से कम तीन किग्रा प्रति महीना प्रति व्यक्ति (50 फीसदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर)
गर्भवती महिलाएं	गर्भ के दौरान और बच्चे जन्म के बाद छह महीने तक मुफ्त अनाज, छह महीने तक 1000 रुपये हर महीने.
बच्चे (छह महीने से 14 वर्ष के बीच)	स्थानीय आंगनबाड़ी में मुफ्त भोजन (छह महीने से छह वर्ष तक) स्कूलों में मिड डे मील (छह से 14 वर्ष तक)
कुपोषित बच्चे	मुफ्त भोजन
अभावग्रस्त	प्रति दिन एक वक्त मुफ्त भोजन
निराश्रित	समुदायिक रसोई में खरीद क्षमता के मुताबिक भोजन
भूख से ग्रसित व्यक्ति	छह महीने तक प्रतिदिन दो वक्त मुफ्त भोजन
आपात और आपदा से प्रभावित	तीन महीने तक प्रति दिन दो वक्त मुफ्त भोजन

दोषपूर्ण है सरकार का यह विधेयक

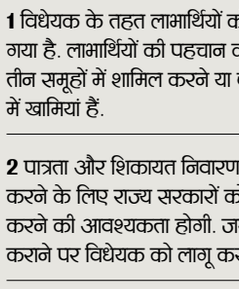

धर्मेंद्र कुमार
(इंडिया एफडीआइ वाच के निदेशक)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर सरकार काफी समय से सक्रिय है. लेकिन, इस विधेयक की कई खामिया हैं, जिसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है या उसे नजरअंदाज कर दिया गया है. इस विधेयक की तीन बड़ी खामियां स्पष्ट तौर पर सामने दिखती हैं-दोषपूर्ण गरीबी रेखा के निर्धारण के साथ-साथ आबादी का वर्गीकरण, योजना का अधिक-से अधिक केंद्रीकृत होना और निजीकरण पर विशेष जोर देना. विधेयक में परिवारों को दो समूहों में बांटा गया है. एक प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवार. यह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के वर्गीकरण से ज्यादा अलग नजर नहीं आता है. इसके अलावा, इस विधेयक के दायरे में ग्रामीण इलाकों के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों की 50 फीसदी आबादी को लाने की बात कही गयी है. एक तरह से दायरे को सीमित करने जैसी ही है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही इस तरह की योजनाएं चल रही हैं.

नतीजतन उन्हें इसका कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है. यहां तक कि प्रस्तावित विधेयक में प्राथमिकता वाले परिवारों के दायरे को भी सीमित करके रखा गया है. ग्रामीण इलाकों में 46 फीसदी, तो शहरी इलाकों में 28 फीसदी ही यह दायरा तय किया गया है. इन परिवारों के प्रति व्यक्ति को हर महीने सात किग्रा अनाज मिलेगा. जबकि, सामान्य परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने तीन किग्रा अनाज ही मिलेगा. इसके अलावा, विधेयक के प्रावधानों से लगता है कि केंद्र सरकार इस योजना को अपने नियंत्रण में ही रखना चाहती है. यहां तक कि लाभार्थियों का निर्धारण कैसे होगा, इसका फैसला भी केंद्र सरकार ही करेगी. जबकि राज्य सरकारों को सिर्फ जमीनी स्तर पर इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गयी है. इससे राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तनातनी और मतभेद उभर सकते हैं.

दूसरी सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में निजीकरण के तत्व अधिक हैं, जो जन वितरण प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर सकता है. स्मार्ट कार्ड और कूपन का मुद्दा लगातार उठता रहा है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के इर्द-गिर्द होने वाली बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे लेकर कई तरह की चिंताएं जतायी जा रही हैं.

स्मार्ट कार्ड और कूपन को प्रयोग में लाने से जन वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होगी. राज्य स्तर पर जनवितरण प्रणाली के लिए इस तरह के कई प्रयोग पहले से किये जा चुके हैं और उससे सबक लेने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के कदम से ऐसा नहीं लगता है कि वह इस पर विशेष ध्यान देने वाली है. स्मार्ट कार्ड और कूपन जन वितरण प्रणाली को निजीकरण की ओर ले जाएंगे और ऐसे में जनवितरण प्रणाली के लिए कूपन और स्मार्ट कार्ड के जोखिम से बचना असंभव है.

विधेयक के प्रावधानों से लगता है कि केंद्र सरकार इस योजना को अपने नियंत्रण में ही रखना चाहती है. यहां तक कि लाभार्थियों का निर्धारण कैसे होगा, इसका फैसला भी केंद्र सरकार ही करेगी. जबकि राज्य सरकारों को सिर्फ जमीनी स्तर पर इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गयी है. इससे राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तनातनी और मतभेद उभर सकते हैं. दूसरी सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में निजीकरण के तत्व अधिक हैं, जो जन वितरण प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर सकता है.